

27-4-22

यत्रावली आज मेश डुभी। वादी  
वकील अनुपस्थित। न्यायालय  
समय में रुक रुक कर वाद  
कार आवाजे लगवायी गयी।  
परन्तु वादी वकील और  
वादी स्वयं वादी उपस्थित हुये।  
अतः यत्रावली सिविल प्रक्रिया  
संहिता के आदेश 9 नियम 3  
(अदम पैरवी अदम हाजरी) के  
अन्तर्गत स्वार्थ की जाती है।

UB  
उप जिला कलेक्टर  
घोष का बरवाड़ा

